सिस्टम भी

# कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

::कार्यालय आदेश::

क्रमांक : जिविसेप्रा/2025/२५५ दिनांक : ०१.०१.२५

माननीय रालसा के पत्रांक F4(239)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–3/2025/8280–8315 दिनांक 19.08.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में दिनांक 13.09.2025 (द्वितीय शनिवार) को दौसा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु ऑफलाईन के साथ–साथ ऑनलाईन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु निम्न लोक अदालत बैंचों का गठन किया जाता है :–

| क्र. स. | लोक अदालत बैंच संख्या व संबंधित न्यायालय के सुनवाई योग्य प्रकरण | लोक अदालत हेतु मनोनीत अध्यक्ष/न्यायिक अधिकारी/सदस्य | लोक अदालत का स्थान |
|---|---|---|---|
| | जिला मुख्यालय, दौसा | | |
| 01 | राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 01<br>01.जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा<br>02.स्थायी लोक अदालत, दौसा<br>03.जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दौसा<br>04. अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा<br>05.न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, दौसा।<br>से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर समस्त प्रकरण। | 01. अध्यक्ष, श्री रविकान्त सोनी (न्यायाधीश, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा)<br>02.सदस्य अधिवक्ता, श्री दीपक शर्मा–II (9828858764) (न्यायिक प्रकरणों हेतु)<br>03. सदस्य, श्री अशोक कुमार शर्मा (9001867788) (जिला उपभोक्ता मंच व स्थायी लोक अदालत के प्रकरणों हेतु) | अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, दौसा |
| 02 | राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 02<br>01.पारिवारिक न्यायालय, दौसा<br>02.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा | 01. अध्यक्ष, श्रीमती प्रेम राजेश, (न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दौसा)<br>02. सदस्य अधिवक्ता, श्री धर्मसिंह गुर्जर (8000632730) | पारिवारिक न्यायालय, दौसा |
| 03 | राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 03<br>01.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा<br>02.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–01 तथा क्रम संख्या–02, दौसा<br>03.प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा<br>04.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा<br>05.अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा<br>06.ग्राम न्यायालय, दौसा<br>07 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) न्यायालय, दौसा से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर समस्त प्रकरण। | 01. अध्यक्ष, श्री रविकान्त मीणा, (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–02, दौसा)<br>02. सदस्य अधिवक्ता, श्रीमती नीलम शर्मा (8619676328) | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–02, दौसा |
| 04 | राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 04<br>01.जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर समस्त प्रि–लिटिगेशन प्रकरण।<br>02.दौसा मुख्यालय, बांदीकुई राजावतान, लवाण, सैंथल पर स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों से राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर समस्त लम्बित व प्रि–लिटिगेशन प्रकरण। | 01. अध्यक्ष, श्री संतोष अग्रवाल (सचिव, जि.वि.से.प्रा., दौसा)<br>02.सदस्य अधिवक्ता, योगेश कुमार सैनी (9929510777, जि.वि.से.प्रा. दौसा के प्रि–लिटिगेशन प्रकरणों हेतु)<br>03.सदस्य/राजस्व अधिकारी, श्री हनुमान सहाय शर्मा (9828216906) (नायब तहसीलदार, दौसा–राजस्व प्रकरणों हेतु) | ए.डी.आर.सेन्टर, दौसा |

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. दौसा एवं तालुका मुख्यालयों पर गठित बैन्चों के अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी/न्यायालय जिसकी बैंच बनाई गई है) दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपनी बैंच के कार्य निष्पादन हेतु नियमानुसार अधिकतम 02 मंत्रालयिक कर्मचारियों (किसी भी स्तर के) तथा 01 सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगायेंगे तथा सूचनार्थ एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
2. रैफरल/लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बैंच में पत्रावलियां प्रस्तुत करने व लोक अदालत कार्य निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय/फोरम 01 मंत्रालयिक कर्मचारी (किसी भी स्तर के) की ड्यूटी लगायेंगे तथा सूचनार्थ एक प्रति इस कार्यालय व संबंधित बैंच के अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे। साथ ही लोक अदालत दिवस से एक दिवस पूर्व ही संबंधित बैंच में पत्रावलियां भिजवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रि–लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण व लोक अदालत की कार्य–व्यवस्था हेतु प्राधिकरण स्तर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा तथा तालुका स्तर पर अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बांदीकुई/लालसोट/महवा/सिकराय द्वारा नियमानुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावेगी।
4. दिनांक 13.09.2025 को उपस्थित हुए लोक अदालत बैंच के अध्यक्ष, सदस्य व कर्मचारीगण की उपस्थिति की सूचना भी लोक अदालत समाप्ति के पश्चात् उसी दिन इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें।
5. सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टॉफ जिनकी ड्यूटी राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं लगायी गयी है, के सीगे से संबंधित चिन्हित पत्रावलियाँ उक्त लोक अदालत में कार्य निष्पादन हेतु लगाये गये कर्मचारियों को लोक अदालत आयोजन के एक दिवस पूर्व संभलाने के लिए संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करें।
6. स्टॉफ द्वारा लोक अदालत आयोजन के दिवस ही सभी कार्य पूर्ण कर, रैफर होकर प्राप्त हुए प्रकरणों का रिकॉर्ड उसी दिवस संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जायेगा।
7. लोक अदालत बैंच द्वारा मध्याह्न की सूचना दोपहर 01.00 बजे तक एवं अंतिम सूचना सायं 04.00 बजे तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा को प्रेषित की जावेगी।
8. उक्त समस्त लोक अदालत बैंचों के अध्यक्ष/न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F4(239)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–3/2025/8280–8315 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा समय–समय पर जारी/प्रेषित पत्रों की पालना आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्तानुसार समस्त कर्मचारीगण की उपस्थिति लोक अदालत के दिन सुनिश्चित करेंगे।
9. नोड़ल अधिकारी (राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्व प्रकरण) सहायक कलक्टर, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि दौसा मुख्यालय, लवाण, नांगल राजावतान व सैंथल के राजस्व न्यायालयों द्वारा लोक अदालत हेतु रैफर समस्त राजस्व प्रकरणों को राजस्व प्रकरणों के लिए गठित लोक अदालत बैंच संख्या 04 हेतु भिजवाये जाने की समुचित व्यवस्था करावें तथा इस हेतु इस कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्रांक 1290 दिनांक 07.03.2022 के साथ संलग्न राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ) जयपुर के पत्रांक 4292 दिनांक 07.03.2022 की पालना करना सुनिश्चित करें।
10. राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित प्रकरणों को संबंधित न्यायालय उसी दिन सीआईएस सिस्टम पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. राष्ट्रीय लोक अदालत के दिवस भारत/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड़–19 गाईड़लाईन की पूर्ण पालना की जावे तथा कोरोना महामारी व अन्य वायरस संक्रमण को देखते हुए बैंच अध्यक्ष साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए पर्याप्त कचरा–पात्र भी उचित स्थान पर रखवाया जाना सुनिश्चित करें एवं इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि अधिवक्तागण, पक्षकारान व अन्य व्यक्ति कागज, डिस्पोजल व अन्य सामग्री आदि को अन्यत्र स्थान पर ना फेंकें।
12. रैफरल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण अपने न्यायालय से रैफर की हुई पत्रावलियों को संबंधित बैंच के रीडर/लिपिक को सूची सहित दिनांक 12.09.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें तथा लोक

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन)